

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 519]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/2/34.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला बलौदा बाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/2/3 दिनांक 25-07-2019 जारी की गई थी।

2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27-07-2020 द्वारा जिला बलौदा बाजार-भाटापारा में विद्यमान 86 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 67 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला बलौदा बाजार-भाटापारा के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35/15-02/2019/2/4 दिनांक 31-08-2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10-09-2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3. निर्धारित समयावधि में जिला बलौदा बाजार-भाटापारा की समितियों के पुनर्गठन हेतु 26 दावा/आपत्ति प्राप्त हुई। विभाग के पत्र दिनांक 01-10-2020 द्वारा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बलौदा बाजार-भाटापारा को प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया। उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बलौदा बाजार-भाटापारा के प्रतिवेदन दिनांक 07-10-2020 द्वारा 19 दावा/आपत्तियां अमान्य करने तथा 07 दावा/आपत्तियां मान्य करने का अभिमत विभाग को प्रेषित किया गया है एवं सोसाइटियों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधित अनुसूचियां प्रेषित की गई हैं।

4. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/2/3 दिनांक 25-07-2019 की कंडिका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बलौदा बाजार-भाटापारा के प्रतिवेदन दिनांक 07-10-2020 एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 09-10-2020 पर विनिश्चय उपरांत, राज्य शासन एतद्वारा जिला बलौदा बाजार-भाटापारा में विद्यमान 86 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो एवं तीन में उल्लेखित 67 नवीन सोसाइटियों का गठन करने एवं अनुसूची एक में उल्लेखित सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में संशोधन करने की कार्यवाही हेतु “जिला बलौदा बाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला बलौदा बाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना "जिला बलौदा बाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बलौदा बाजार-भाटापारा की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

03. पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से; किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

07. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-

- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. आदेश जारी करने की शक्तियां :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला बलौदा बाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019

अनुसूची-एक

क्रमांक	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है। (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
1	जांगड़ा	माचाभाठ, रेंगाबोड, बुचीपार	रोहरा
2	बिटकुली	खैरवारी	सुहेला
3	हटौद	आमाखोहा, भवरीद, उपरानी, मोतीपुर	पिसीद

अनुसूची-दो

क्रमांक	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)
1	2	3	4
1	लाहोद	बिटकुली	बिटकुली, खटियापाटी, लवनबंद, पनगांव
2	सरखोर	अहिल्दा	अहिल्दा, परसाडीह
3	कटगी	सेल	सेल, चंडी
4	देवरीनगेड़ी	गोलाझर	गोलाझर, देवगांव, देवरुंग, चांदन, अमरुवा, सुखरी
5	थरगांव	बिलारी	बिलारी, बानिखार, कुरमाझर, मगरदरहा, कलमीदादर, कौहाजुनवानी,
		खैरा	खैरा, भानपुर, कुशगढ़, सोनपुर, बरपानी, कुशभाठा
6	गिरौद	सोनाखान	सोनाखान, अर्जुनी, सिरमाल, सराईपाली, गांजरडीह, कसौदी, महकम, वीरनारायणपुर, बंगलापाली
		चिखली	चिखली, चन्हाट, नवागांव, तालदादर, कोठारी, कोहाकुडा, जोगीडीपा, कंजिया, सलिहाभाठा, बिटकुली, मिरगिदा, पठीयापाली, बासीनपाली, देवतरई, सण्डी, सारसडोल, बलारनवागांव, पोडी
7	हसुवा	अमोदी	अमोदी, धमलपुर, नवापारा, डेराडीह, रामपुर, कोट, तिपरुंग, तुरकीनडीह
8	मटिया	नरधा	नरधा, नवरंगपुर, दर्री, बरेली, सुकली, खपराडीह
9	टुण्डरा	कुम्हारी	कुम्हारी, खपरीडीह, पंहदा, अमलीडीह, पुलेनी, घटमडवा
10	पिसीद	छरछेद	छरछेद, कोट, देवरीकला, देवरीखुर्द, सोनाईडीह, मुडीयाडीह, सिनोधा
11	खिलौरा	सकरी	सकरी, भैसा, करेली
12	हथबंद	डोगरिया	डोगरिया, केसदा, रिंगनी, झिरिया
13	दामाखेड़ा	मनोहरा	मनोहरा, अकलतरा, मोटियारीडीह, माढर, खरगाडीह, धीवपुरी, मानिकचौडी, मोहभट्टा, लावर
14	विश्रामपुर	तुलसी	तुलसी, तोरा, चक्रवाय, चोरहानवागांव, चंदियापथरा
15	पौसरी	कामता	कामता, मुसुवाडीह, नवागांव,
16	चौरैंगा		भोथीडीह
17	पलारी	दतान(प)	दतान (प), सकरी
18	वटगन	सिसदेवरी	सिसदेवरी, कौडीया, जंगलोर

19	तेलासी	गिधपुरी	गिधपुरी, जुनवानी, मलपुरी, मोहगॉव, देवगॉव
20	भवानीपुर	बोहारडीह	बोहारडीह, कुची, हरिनभटठा
21	सीतापार	सलौनी	सलौनी, खैरी, धमनी, मुडियाडीह, दतान (ख)
22	कोनारी	लच्छनपुर	लच्छनपुर, डेलकी, धौराभाठा, गबौद, गदहीडीह
23	दतरेंगी	चरौदा	चरौदा, बम्हनी
24	रेगाडीह	जारा	जारा, छेरकाडीह
25	छेरकापुर	कोसमंदा	कोसमंदा, रामपुर, छडिया, छेरकाडीह
26	निपनिया	मोपका	मोपका, बकुलाही, भरतपुर, धौराभाठा
27	लेवई	सिंगारपुर	सिंगारपुर, सेम्हराडीह, मेण्डरा, लमती, गोढ़ी(एस)
28	खैरा	धनेली	धनेली, चंदली, सिलवा, पथरिया
		पाटन	पाटन, गुडेलिया, चिचपोल
29	टेहका	धुराबांधा	धुराबांधा, हसदा, बोरसी ब, सेदरी, सुरखी, खैरी आर, राजाढार, आलेसुर, गोगिया, बीजाभाट, खपराडीह, कलमीडीह
30	गुरा	मिरगी	मिरगी, परसाडीह, खम्हरिया
31	भाटापारा	देवरी	देवरी, सेमरिया(द), सुरजपुरा, खोलवा
32	रावन	फुलवारी	फुलवारी, नेवारी, तिल्दाबांधा, भोथाडीह
33	सुहेला	खपराडीह	खपराडीह, पड़कीडीह, करही, चंडी
34	मोहरा	हिरमी	हिरमी, कुथरौद, परसवानी
35	देवसुन्द्रा	साराडीह	साराडीह, परसवानी, खपरी, सरकीपार,
36	पिरदा	जमगहन	जमगहन, बन्दारी, चुरेला, बेलटिकरी, धारासीवा, चंदलीडीह, जमनारडीह, रिकोटार, डोकरीडीह, ठाकुरदिया, बरभाठा
37	बिलाईगढ़	पवनी	पवनी, बिसनपुर, लुकापारा, पथरिया, खजरी, दोम्हानी
		सलिहा	सलिहा, मलुहा, परसापाली, भोगडीह, गारडीह
		धनसीर	धनसीर, छुइहा, टेंगनाकछार, जोगीडीपा, धौराभाठा, सुरगुली, दयालपुर

अनुसूची-तीन

क्रमांक	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	केशला	बोईरडीह, सोनाडीह	रसेड़ा	
2	करमदा	खजुरी, पारागांव		देवरी
3	डमरू	सलौनी, देवरी, भाटागांव, सेम्हराडीह,	रसेड़ा	
4	बलौदाबाजार	सुढेला, सुढेली, बोईरडीह, विश्राइनडीह, भदरा, धनगांव,		सुढेला
5	खैरा (लवन)	खैरी, छुईहा	रसेड़ा	
6	लवन	सकरी, कंजी, लिमाही, खम्हरिया यदु, गोड़खपरी		सकरी
7	बरदा	लटुवा, शुक्लाभाठा, सोनपुरी		लटुवा
8	सिरियाडीह	ढाबाडीह	लवन	
9	रिसदा	अमलडीहा	खैरा (लवन)	
10	सलौनीकला	भालुकोना, सिंघारी, परसापाली, हरदी, चितावर,		भालुकोना
11	टुण्डरी	मुण्डा, कोलिहा, सरवाडीह, खम्हारडीह, चिरपोटा,		मुण्डा
12	गाताडीह	ढनढनी		
13		गंगई	सरखोर	
14		कोयदा, पैसर, चंगोरी		कोयदा
15		पुरान,	खम्हरिया	
16		खैरवारडीह	सेम्हराडीह	
17		दशरमा, पुरेना खपरी		दशरमा
18		ठाकुरदिया, मड़कड़ी	टुण्डरी	
19		डोंगियाभाठा	भटगांव	
20		नगरदा, मिरचिद, सोनियाडीह, बेलमुड़ी, अलीपुर, गोरबा, तेन्दुमुड़ी, देवरहा, पचरी, बनावील, कैथा, परसाडीह, मुड़पार, बेल्हा, माहुलडीह		नगरदा
21		अर्जुनी	बिलाईगढ़	
22		पुरगांव, तौलीडीह, मौहाडीह, सिंघीटार, भरतपुर, लिमतरी		पुरगांव
23		रामपुर, करबाडबरी, मल्दी, बगलोटा, करियाटार, दाउबंधान, रमतला, भण्डोरा, खुरसुला, खैरझिटी, देवरबोर्ड, टाड़ापारा, करचखला		रामपुर
24		गोपालपुर, खम्हरिया, धौराभाठा, साजापाली, गगोरी, छिरचुवा, मुच्छमल्दा, भिनौदी, शितलपुर, सेन्दुरस, भिनौदा, सेमरिया		गोपालपुर

		धनोरा, दुरुग, पीपरभवना ग, बोईरडीह, गाड़ापाली, घोघरी, घोघरा		दुरुग
		मनपसार, सकरापाली, टाटा, जोगेसरा, बिलासपुर, मुड़पार, रायकोना		मनपसार
		मधुबनखुर्द		
13	भटगांव	खपरीडीह, नवापारा, देवरहा, धनगांव, तौलीडीह, पीपरभवना, तेंदुवा, बेंदुवा, करनापाली		धनगांव
		ग्वाली	सलौनीकला	
		जोरा, ओटगन, चिकनीडीह, करमन्दी, सरमन्दी, गदहाभाठा, घाना, जुनवानी, हरदी, रोहिना, सोनियाडीह, धोबनीडीह, गिरसा		जोरा
		साल्हेवना, जैतपुर, कुसुमकुण्डा, बलौदी, लखुरीडीह		पेण्ड्रावन
14	सरसीवा	पेण्ड्रावन, बछौरडीह, कोट, चारभाठा, टिहलीपाली, केडियारवार, जोरापाली		
		बालपुर, पेण्ड्रीपाली, ओड़काकन, मोहतारा स, सरधाभाठा		बालपुर
		बम्हनपुरी, चोरभट्टी, जोगीडीपा, तिलाईपाली, तेंदुभाठा, पिकरीपाली		बम्हनपुरी
15	सोहागपुर	चन्द्रनगर, बैलाडूला, तेन्दूररहा, जमनारडीह, बेंकपाली, कचौदा, शंकरनगर, किसड़ा,	पिरदा	बैलाडूला
16	अर्जुनी	मगरवाय	भरसेला	
		खैरी, बोरसी (ध), कुकदा, पौंसरी, बेन्दरी, अचानकपुर		खैरी(क)
		गोढी (टी), अमलीडीह, टोनाटार, नवागांव, टोपा,		गोढी(टी)
17	बोरसी	मुढीपार, पैरागुड़ा, पुटपुरा, भडोरा, दौनाझर, घिरघोल, सुकदा, पिपरछेड़ी, भोथाही, अर्जुनी, रीवासरार, बारेकेल, खैरा, बल्दाकछार, बरबसपुर, अंवराई, सुरबाय		मुढीपार
		भिंभोरी, बफरा, गुड़ागड़, अल्दा		
18	बया	बार, हरदी, दोद, लाटादादर, मुड़पार, सैयाभाठा, पाडादाह, आमागांव, लोरीदखार, अकलतरा, चरौदा, देवगांव, बडगांव, गबौद, ढेबी, ढेबा, मोहदा, रवान, कौहाबहरा, गजराडीह, मुरुमडीह, दलदली, तालाझर, छतालडबरा		बार
		रिकोकला, डुमरपाली, रिकोखुर्द, रुनझुनि, छतवन		रिकोकला